3237
29/8/18

6032
29/8/2018

<u>विधानसभा आम चुनाव 2018</u>

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प.24(20)शिक्षा–6 / 2018 जयपुर, दिनांकः 17/8/18

समस्त उप निदेशक
माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान

विषयः–आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान केन्द्र हेतु संभावित राजकीय विद्यालयो में सुरक्षा की दृष्टि से रख–रखाव के कार्य करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (पंचायती राज) द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 4(415)पंरावि / FFC&SFC.V / विविध / 2016–17 / 2756 दिनांक 07.08.2018 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

भवदीय,

शासन सहायक सचिव

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां
क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/शै. प्र.-2/2018/565 दिनांक 5.9.18

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
समस्त राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि
जिला बारां

श्रीमान शासन सहायक सचिव महोदय के पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि पत्रानुसार कार्यवाही कर पालना से शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बाराँ

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884
ई–मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in, seprd1235@gmail.com

क्रमांक : एफ 4 (415) पंरावि / FFC & SFC-V / विविध / 2016–17 / 2756 जयपुर, दिनांक : 7-8-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद–समस्त।

विषय :– आगामी विधानसभा चुनावो के मतदान केन्द्र हेतु संभावित राजकीय विद्यालयो में सुरक्षा की दृष्टि से रख–रखाव के कार्य करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आगामी विधानसभा चुनावो के मतदान केन्द्र हेतु राजकीय विद्यालयो का चयन किया जाना है। उक्त राजकीय विद्यालयो में सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केन्द्र हेतु चयन किये जाने वाले कक्षो में आवश्यक कार्य करवाये जाने है।

राज्य वित्त आयोग पंचम एवं 14वां वित्त आयोग के दिशा–निर्देशो में सार्वजनिक / सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का कार्य अनुमत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनावो के मतदान केन्द्र हेतु संभावित चयनित राजकीय विद्यालयो में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य वित्त आयोग पंचम एवं 14वां वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से आवश्यक रख–रखाव कार्य यथा दरवाजे, खिडकियां, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता (शौचालय), रैम्प, रंग–सफेदी आदि प्राथमिकता से सम्पादित करायें।

भवदीय

www.rajteachers.com

(कुंजी लाल मीणा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पं.रा.वि.।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.रा.वि.।
3. निजी सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।
7. ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

D:\Desktop Data\S.Sharma\Letter 2017.doc